फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
सांवरमल बनाम कल्याण सहाय वगै०

केस संख्या : प्रा.पत्र 152/2025

केस संख्या	दिनांक या कार्यवाही	आज्ञा	विशेष विवरण
	30/12/2025	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. ... कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/12/2025 को पेश हो।	
	31/12/25	पत्रावली आज दिनांक ... को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/1/26 को पेश हो।	
	02/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। प्रार्थी ने अप्रार्थी 5, व 6 की ट्रैक रिपोर्ट पेश की। मुताबिक ट्रैक रिपोर्ट तामील पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। दी डिस्ट्रिक्ट बार द्वारा कन्डोलेन्स होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। पत्रावली दिनांक 07/1/26 को पेश हो। (सहायक कलक्टर आमेर जयपुर)	
	7/1/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगण अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी की बहस सुनी गई ... दिनांक 09/1/26 को पेश हो। (सहायक कलक्टर आमेर जयपुर)	
	09/1/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Chaudhary
Date: 2026.01.16 16:19:54 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

केस संख्या : 152/2024 [illegible] / [illegible]

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
		नहीं होने पर प्रा० पत्र [illegible] [illegible] खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 152 / 2025

1. सावरमल पुत्र कल्याण सहाय
2. सीताराम पुत्र कल्याण सहाय

समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम श्रीपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।

........प्रार्थीगण

वनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र राम सहाय, जाति वगड़ा ब्राह्मण, बी. ग्राम–श्रीयुग, परंतु जालसू, जिला. जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

.... मुख्य अप्रार्थीगण

4. प्रकाश पुत्र कल्याणसहाय जाति वागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम श्रीपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।
5. कौशल्या देवी पुत्री कल्याणसहाय पत्नी बावूलाल निवासी ग्राम विमलपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. शांति देवी, कल्याणसहाय की पुत्री, सुरेश की पत्नी, ग्राम विमलपुरा, तहसील चोमुन, जिला जयपुर निवासी।

..तरतीबी अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 09.01.2026

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम श्रीपुरा पटवार हल्का खन्नीपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर खाता संख्या नया 38 पुराना 19 खसरा के नम्बर 132,135,151,152,180,181,181 / 506, 183/299,5... कुल किता 11 का कुल रकबा 10.0600 हैक्टेयर वादीगण के दादा रामसहाय पुत्र परता के नाम संवत 2070–2073 की जमाबन्दी के अनुसार दर्ज व अंकित थी तत्पश्चात वादीगण के दादा रामसहाय पुत्र परता की मृत्यु दिनांक 27–12–2018 को होने के पश्चात उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण रामसहाय पुत्र परता के जाईन्दा वारिसो कल्याण सहाय, रामकुवार, रामगोपाल, हिरालाल, बाबूलाल के नाम फौती नामान्तकरण तस्दीक हो गया और तत्पश्चात रामसहाय पुत्र परता के जाईन्दा वारिसो ने आपसी सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

कोल्यूजन करते हुये सम्पूर्ण भूमि का विभाजन करवा लिया तथा उक्त खसरा नम्बर विभाजन पश्चात वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता कल्याणसहाय के नाम दर्ज एवं अंकित चली आ रही है जो निम्न है – तत्पश्चात विभाजन के वाद ग्रांम श्रीपुरा पटवार हल्का बरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर खाता संख्या नया 197 पुराना 134 के खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671/516 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674/181 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 681/181 रकबा 0.9350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 687/188 रकबा 0.2950 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.9800 हैक्टेयर स्थित है जो प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता कल्याणसहाय के नाम दर्ज व अंकित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रार्थीगण के दादा रामसहाय पुत्र परता के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज व अंकित चली आ रही थी। मद नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा है। उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हिस्सा ही प्रार्थना पत्र के आगे के मदो में भूमि वादग्रस्त से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि रही है जो पूर्व में प्रार्थीगण के दादा रामसहाय पुत्र परता के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित थी इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है जिसमें प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के जन्म से हक अधिकार निहित है। 5. यह कि उक्त आराजी पूर्व में रामसहाय पुत्र परता के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व के पश्चात् उक्त आराजी रामसहाय के वारिसान कल्याणसहाय, अंकित चली आ रही थी। रामसहाय पुत्र परता के स्वर्गवास रामकुवार रामगोपाल व हिरालाल बाबूलाल ने अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली जबकी प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक कृषि भूमि मे हक व हिस्सा निहित रहा है। उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिस पर बाई बर्थ राईट प्रार्थीगण का हक अधिकार निहित है ओर वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 कल्याणसहाय प्रार्थीगण के पिता है तथा प्रारूपिक अप्रार्थीगण के प्रभाव व बहकावे मे है तथा वादअधीन भूमि को येनकेन प्रकारेण विक्रय करने पर आमादा है जबकी प्रार्थीगण अपने पैतृक हिस्से पर साधिकार काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को बहकावे में आकर उनके पैतृक हक हकुको से महरूम करना चाहते है तथा बिना प्रतिफल विक्रय करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार नही है प्रार्थीगण को अपने विधिक अधिकारी की घोष्णात्मक उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुवा। उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के अवैध तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली है। उक्त आराजी में अप्रार्थी तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में प्रार्थीगण व प्रत्येक का बराबर बराबर हक हिस्सा निहित है। अर्थात खाता संख्या 1/6 हिस्सा निहित है का प्रार्थीगंण 197 में सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 के हक हिस्सेनुसार राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के लिये यह वाद बाबत घोषणा का पेश करना लाजमी हुआ । प्रार्थी अधिकारी है कि वह उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के निहित हक हिस्से में से प्रार्थी अपने हक हिस्से की घोषणा राजस्व रिर्कोड में अपने नाम से दर्ज व अंकित करवाकर अपने नाम स दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

रावे। प्रार्थी अप्रार्थीगण को पाबंद करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण संख्या । पाबंद करावे की वह प्रार्थी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत कारित नहीं करे ना ही उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे। दिनांक 01–11–2025 को जब प्रार्थी अपने कब्जे की भूमि पर कृषि कार्य कर रहा तो तो अप्रार्थी संख्या 1 व कुछ अनजबी लोग विवादगग्रसत आराजी के मौके पर आये ओर उक्त भूमि खरीद फिरोख्त की बाते करने लगे, जब प्रार्थी ने इसका कारण पूछा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि उक्त आराजी मेरे नाम से है इसलिये में उक्त आराजी का बैचान करूगा ओर कब्जा क्रेता को सुपुर्द करूगा। इस पर प्रार्थी ने कहा कि उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमें मेरा हक अधिकार बाई बर्थ राईट निहित है। आप उक्त आराजी का विक्रय हस्तान्तरण कैसे कर सकते हो। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 आग बबुला हो गया ओर ऐलानिया कहा कि मै तो उक्त आराजी का बैचान करगे रहूगा। तुम्हे करना हो सो कर लेना। इस पर प्रार्थी का वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। इसके पश्चात् प्रार्थी ने उक्त तथ्यो से तरतीबी अप्रार्थीगण को अवगत करवाया तो उन्होने कोई जवाब नही दिया। इस पर प्रार्थी ने अपने खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा व सुरक्षार्थ उक्त वाद कारण उत्पन्न होने पर यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 को कोई कानूनी हक अधिकार नही है कि वह अवैध रूप से अपने नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड में अंकन के आधार पर भूमि का विक्रय हस्तान्तरण नही करे। प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में वखुवी सावित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया गया तो व प्रार्थी की पैतृक भूमि में निहित हिस्से को अवैध इन्द्राज के आधार पर विक्रय कर, खुर्द बुर्द कर देगे, भूमि किस्म परिवर्तन करवा देगे, तथा प्रार्थी को जबरन उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगे जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही फौत हो जायेगा। जिससे वाद वाहुल्ता वढ़ेगी इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पक्षों की शांति और विवादित भूमि की स्थिति को देखते हुए, श्रीमान श्रीमान श्रीमान याचिका की सुनवाई के लिए पूरी तरह से हकदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावद किया जावे कि ग्राम श्रीपुरा पटवार हल्का बरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर खाता संख्या नया 197 पुराना 134 के खसरा नम्बर 132 रकवा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकवा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671/516 रकवा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्वर 674/181 रकवा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 681/181 रकवा 0.9350 हैक्टेयर, खसरा नम्वर 687/188 रकवा 0.2950 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.9800 हैक्टेयर भूमि अथवा उसके किसी भी भाग में किसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि न करे, ना ही कि उक्त भूमि का बैचान विक्रय करे ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्माण करे, ऐसा कृत्य अप्रार्थी ना तो स्वंय करे ना ही अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि से करावे तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनायीं रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्राथीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उनके उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case): प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे कि अप्रार्थीगण वास्तव में उन्हें बेदखल कर रहे हैं या मौके पर कोई परिवर्तन कर रहे हैं । **दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव:** प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि भूमि को खुर्द–बुर्द (नष्ट या बेचना) किया जा रहा है **तीन अनिवार्य सिद्धांत:** कानून के अनुसार, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षतिकृइन तीनों का होना आवश्यक है । प्रार्थी इनमें से एक भी बिंदु अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाए । फलस्वरूप न्यायालय ने निर्णय दिया कि वर्तमान तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय का प्रभाव मुख्य वाद के अंतिम निस्तारण पर नहीं पड़ेगा, जिसे साक्ष्यों के आधार पर अलग से तय किया जाएगा । प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थी ... अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में ... गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर